

दिल्ली के राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय : आरटीई सैल
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

फा0सं0 23/डी ई/आर टी ई/2012-13/244-258

दिनांक 28/06/12

अधिसूचना

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 29 तथा दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 21 के प्रयोजन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली को 'शैक्षिक प्राधिकरण' के रूप में घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

दिनांक

फा0सं0 23/डी ई/आर टी ई/2012-13/

प्रतिलिपि :

1. सचिव, एम एच आर डी, भारत सरकार
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
6. प्रधान सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7. निदेशक, शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
8. निदेशक, (शिक्षा) दिल्ली नगर निगम
9. निदेशक, (शिक्षा) नई दिल्ली नगर पालिका
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
12. समस्त अतिरिक्त निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा / संयुक्त निदेशक शिक्षा / उप निदेशक शिक्षा / सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली।
13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
14. कार्यालय अधीक्षक (आई.टी) को शिक्षा निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
15. गार्ड फाइल।

(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]
No. 112]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2012/आषाढ़ 7, 1934
DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2012/ASADHA 7, 1934

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
[N.C.T.D.No. 77

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय : आरटीई सैल

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जून, 2012

सं. फा. 23/डी ई/आर टी ई/2012-13/229-243.—
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 29 तथा दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 21 के प्रयोजन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली को "शैक्षिक प्राधिकरण" के रूप में घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश और उनके नाम पर,
सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION : RTI CELL

NOTIFICATION

Delhi, the 28th June, 2012

No. F. 23/DE/RTI/2012-13/229-243.—In exercise of powers conferred by Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lt. Governor hereby declares—State Council of Educational Research and Training, Delhi (SCERT) as the "Academic Authority" for the purposes of Section 29 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and rule 21 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy. (Education)